

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥

:: दिनांक 17.10.2022 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 17.10.2022 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल,
अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर।

सदस्य

2. डॉ. सौम्या झा
संयुक्त शासन सचिव,
गृह (गुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

सदस्य

3. श्री विक्रम सिंह,
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।

सदस्य

4. श्री रमेश कुमार दहमीवाल,
सहायक निदेशक (परिवीक्षा)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर।

सदस्य

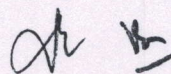
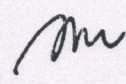
निम्न 01 बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
अंकूर पाडिया पुत्र श्रवण लाल पाडिया उर्फ केदार पाडिया	के.का. कोटा	364/2022	16.09.2022	11.10.2022

अग्रेषित प्रकरण का विवरण:-

1. अंकूर पाडिया पुत्र श्रवण लाल पाडिया उर्फ केदार पाडिया, के.का. कोटा

बंदी द्वारा दिनांक 29.09.2022 तक 08 वर्ष 02 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

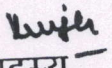
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के D.B. Criminal Death Reference No. 01/2019 Connected with D.B Criminal Appeal No. 114/2018, S.B. Criminal Appeal No. 528/2018, S.B. Criminal Appeal No. 566/2018, D.B.Criminal Appeal No. 12/2019 के निर्णय दिनांक 03.03.2021 के अनुसार बन्दी को मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित करते हुये बन्दी द्वारा मूल सजा अवधि कम से कम 25 वर्ष बिना परिहार के भुगत लेने से पहले समय पूर्व रिहाई पर विचार नहीं किये जाने के आदेश पारित किये गये।

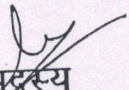
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने दिनांक 16.09.2022 को निर्णय पारित कर प्रकरण पर विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

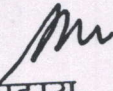
माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में बन्दी के प्रकरण पर विचार किया गया। अब तक बन्दी द्वारा एक भी पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अतः जानकारी लिया जाना उचित होगा कि बन्दी को पैरोल का लाभ क्यों नहीं मिला/लिया गया।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बन्दी अंकूर पाडिया पुत्र श्रवण लाल पाडिया उर्फ केदार पाडिया को खुला बन्दी शिविर में भिजवाये जाने के संबंध में बन्दी द्वारा पैरोल हेतु आवेदन किया अथवा नहीं, यदि किया है तो आवेदन पर क्या निर्णय लिया गया तथा उस निर्णय के क्या आधार रहे, बाबत रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, कोटा से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।


सदस्य
सहायक
निदेशक
(परिवीक्षा)
सामाजिक
न्याय एवं
अधिकारिता
विभाग,
जयपुर।


सदस्य
सचिव
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
संयुक्त शासन
सचिव, गृह
(ग्रुप-12)
विभाग,
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
अति.
महानिदेशक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।


अध्यक्ष
महानिदेशक एवं
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।